बन्दोवस्त कार्यालय, मधेपुरा

-:आदेशः-

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोवस्त अधिनियम-2011 की धारा-3 के तहत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-188 दिनांक-03.02.2015 के आलोक में मधेपुरा जिला के अंचल मधेपुरा में भू-सर्वेक्षण कार्य के आधार पर अधिकार अभिलेख तैयार किया जाना है। तदनुसार बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोवस्त नियमावली-2012 के नियम-04 के तहत जिले के अंचल मधेपुरा के निम्नांकित राजस्व ग्रामों का भू-सर्वेक्षण कार्य हेतु दिनांक-28.01.2016 को उदघोषणा की गई। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोवस्त नियमावली-2012 के अध्याय-VI के नियम-08 में वर्णित प्रावधानों के तहत भू-सर्वेक्षण के अन्तर्गत खानापुरी कार्य को निष्पादित करने हेतु निम्नरूपेण खानापुरी दल का गठन किया जाता है :-

क्र0 सं0	अंचल का नाम	ग्राम का नाम	थाना सं0	खानापुरी दल में प्रतिनियुक्त कर्मी/ पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम			पर्यवेक्षीय पदा0 का नाम एवं पदनाम	शिविर का स्थान	अभ्युक्ति
				मधेपुरा अंचल कार्यालय के नामित कर्मी का नाम/पदनाम	निदेशक भू-अभिलेख एवं परिमाप बिहार का प्रतिनिधि का नाम/पदनाम	अन्य प्रतिनियुक्त पदा0 का नाम/ पदनाम			
01	02		03	04	05	06	07	08	09
01	मधेपुरा	मुरवाला दक्षिणबाड़ी	85	धीरेन्द्र प्र0 सिंह, राजस्व कर्मचारी	श्री रसिक लाल टुडु कानुनगो	श्री शिवजी पाण्डेय, प्रभारी परिमाप निरिक्षक (अपने कार्य के अतिरिक्त खानापुरी का कार्य भी करेगें।	श्री अरूण कुमार सक्सेना, स0ब0प0	बालम गढ़िया पंचायत भवन	
02	मधेपुरा	श्रीपुर दक्षिणवाड़ी	75	ललन कुमार ठाकुर, राजस्व कर्मचारी	श्री रसिक लाल टुडु कानुनगो	महेश राम अमीन श्री शिवजी पाण्डेय, प्रभारी परिमाप निरिक्षक	श्री अरूण कुमार सक्सेना, स0ब0प0	बालम गढ़िया पंचायत भवन	

गठित खानापुरी दल संबंधित सर्वे के सहायक बन्दोवस्त पदाधिकारी के पर्यवेक्षीय एवं नियंत्रण में उक्त नियमावली के नियम-09 में वर्णित प्रावधानों के तहत कार्य करेंगे।

आदेश दिया जाता है कि इसे जिला गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय।

ह0

बन्दोवस्त पदाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 9-46/15- 36 दिनांक 17-2-2016

प्रतिलिपि :- सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला स्तरीय सभी संबंधित कार्यालय प्रधान को खानापुरी दल के समक्ष अपने-अपने विभाग से संबंधित स्वामित्व वाली भूमि से संबंधित आवश्यक प्रमाण/ दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अंचल अधिकारी, मधेपुरा/ थानाध्यक्ष, मधेपुरा/ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता सदर मधेपुरा/ अनुमंडल पदाधिकारी मधेपुरा/ जिला अवर निबंधक मधेपुरा/ अपर समाहर्त्ता मधेपुरा/ पुलिस अधीक्षक मधेपुरा/ निबंधक व्यवहार न्यायालय मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आयुक्त के सचिव कोसी प्रमंडल सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, सामान्य शाखा को सूचनार्थ प्रेषित। आदेश दिया जाता है कि इसे जिला गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर इसकी दस प्रति बन्दोवस्त कार्यालय, मधेपुरा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मधेपुरा को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

बन्दोवस्त पदाधिकारी,
मधेपुरा।